न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/अपील/2017	20.01.2017	21.05.2018

रतन आ0 भूरा लाल जाति माली निवासी ग्राम करवर उप तहसील करवर जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.03.2016
नायब तहसीलदार, करवर
अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से – श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 816 के रकबा 32.5X9.5=308.7 वर्गफुट बिस्वा किस्म गे. मू.तालाब वाके ग्राम करवर तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 50/– रूपये की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वस्तु स्थिति एवं कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि आबादी क्षैत्र की है जिसका नियमानुसार ग्राम पंचायत से पट्टा बनाया गया हे। अपीलान्ट द्वारा पट्टे की भूमि पर चार दीवारी करवाई गई है। जिस पर अपीलान्ट ने निर्माण कर काफी पैसा खर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त कार्यवाही अनापेक्षित है क्योकि जब तक अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता तब तक पट्टे के आधार पर हुआ निर्माण वैध है एवं उक्त कार्यवाही द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि का बड़ा रकबा है और उस पर कई व्यक्तियों के पट्टे बने हुये है और सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नैनवां

द्वारा प्रदान आदेश प्रभावी है कि ''पट्टे को निरस्त किये बिना उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता'' अपीलाधीन निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में जारी किया गया है जो न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य नहीं ली गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिपत हुआ है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर चार दीवारी का निर्माण किया गया है। वह भूमि गे.मू. तालाब की भूमि है। जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। गे.मू.तालाब की भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अपीलान्ट का खसरा सं.–816 रकबा 32.5X9.5 वर्गफुट किस्म गे.मू.तालाब की भूमि है। उक्त रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि अपीलान्ट ने चार दीवारी का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर करवाया गया है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे बाबत् कोई रिकॉर्ड, दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज करके अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। विवादित खसरा संख्या–816 गे.मू.तालाब की भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण करने या विक्रय करने का अधिकार नहीं है। गे.मू. तालाब की भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमित भूमि खसरा सं.–816 का पट्टा जारी किया गया है तो वह नियम विरूद जारी किया गया है एवं नियमानुसार मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को खसरा सं.–816 में अतिक्रमण मानकर बेदखल एवं शास्ति का आदेश पारित किया गया है वह न्यायसंगत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(नरेश कुमार मालव RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)